



प्रथमा यू०पी०ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय- रामगंगा बिहार फेज-2
मुरादाबाद 244001 (उ.प्र.)

क्षेत्रीय कार्यालय
मुरादाबाद

सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

यदिपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत खातेदार को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने को मांग की थी। ऋणी/जमानतदारों द्वारा उपरोक्त समय अवधि में राशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्न शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अंकित तिथि को बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणियों/सहअनुबंधियों/बंधककर्ताओं द्वारा राशि जमा नहीं करने के कारण निम्न सम्पत्तियों का विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जा रहा है।

क्र. सं.	खाते/ऋणी/सहअनुबंधी का विवरण	बंधक सम्पत्तियों का विवरण/सम्पत्ति स्वामी	मांग सूचना अनुसार देय राशि/ मांग सूचना की तिथि/ कब्जे की स्थिति व तिथि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य/अर्नेस्ट मनी/जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय व स्थान
1	ऋणी:- मैसर्स जय्वार हैंडीकापट, फर्म स्वामी:- श्री जय्वार अली पुत्र श्री अफसर अली निवासी मकान संख्या- 19, पुलिस चौकी के पीछे, वार्ड संख्या- 67, जवनीपुर, मुरादाबाद। सहअनुबंधी:- श्री अफसर अली पुत्र श्री फकीर अहमद, 2. श्रीमती अमनती बेगम पत्नी श्री अफसर अली, 3. श्री हेम सिंह करण उर्फ हेम सिंह पुत्र श्री वृधगम करण	सम्पत्ति :- एक आवासीय भवन एक भूखंड, खसरा संख्या- 230 का एक भाग, स्थित है: कल्याणपुर मुसलकम, मुरादाबाद, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल- 95.01 वर्ग मीटर एवं उपरोक्त सम्पत्ति से निम्न विक्रय विलेख संख्या: 20382/2018 एवं 20383/2018 के द्वारा सब रजिस्ट्रार प्रथम, मुरादाबाद के कार्यालय में पंजीकृत है, सम्पत्ति को चतुरसीमायें (साइट के अनुसार संकुचन सम्पत्ति को चौहदरी) पूव- आगजी मुक्ति, परिचम- आगजी सुलतन वाली, उत्तर- रास्ता मुरादाबाद 12 फीट चौड़ा, दक्षिण- आगजी दीगर शख्त, सम्पत्ति स्वामी- श्री अफसर अली पुत्र श्री फकीर अहमद। विक्रय विलेख सं) 20382/2018 के अनुसार:- पूव- सम्पत्ति अफसर अली, परिचम- सम्पत्ति सुलतन अली अब भूखंड सुलतन अली, उत्तर- रास्ता 12 फीट चौड़ा, दक्षिण- सम्पत्ति दीगर शख्त, विक्रय विलेख सं) 20383/2018 के अनुसार:- पूव- सम्पत्ति विक्रेता अल, उत्तर- रास्ता 12 फीट चौड़ा, दक्षिण- सम्पत्ति दीगर शख्त। सम्पत्ति हटान आवा, परिचम- सम्पत्ति अमनती बेगम अब मकान, उत्तर- रास्ता 12 फीट चौड़ा, दक्षिण- सम्पत्ति दीगर शख्त।	₹ 11,98,905.38 तिथि 31.10.2022 तक + व्याज एवं अन्य खर्च, 16.11.2022 संकेतिक कब्जा 14.03.2023	₹ 15,30,000/- ₹ 153000/- तिथि 02.11.2023 नीलामी से पूर्व	02.11.2023 समय सुबह 11.00 से दोपहर 01.00 बजे तक, शाखा हनुमान मूर्ति, मुरादाबाद
2	ऋणी:- मैसर्स आरव पैकर्स, फर्म स्वामी:- श्री बंदरपाल सिंह पुत्र श्री मुनेश कुमार, निवासी कमला विहार, निकट पीतल नगरी, मुरादाबाद। सहअनुबंधी:- श्री अंकुल सिंह पुत्र श्री मुनेश कुमार 2. श्री अरुण उर्फ अरुण सैनी पुत्र श्री चौखेलाल उर्फ चौखेलाल सैनी	सम्पत्ति :- एक भूखंड, गांदा संख्या- 39, स्थित है: कल्याणपुर मुसलकम, मुरादाबाद, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल- 140.50 वर्ग मीटर एवं विक्रय विलेख संख्या: 9599/2019 है, सम्पत्ति स्वामी- श्री बंदरपाल सिंह पुत्र श्री मुनेश कुमार, सम्पत्ति की चतुरसीमायें- पूव- भूखंड विक्रेता, परिचम- भूखंड विपिन, उत्तर- रास्ता 10 फीट चौड़ा, दक्षिण- सम्पत्ति राजेंद्र,	₹ 13,02,487.58 तिथि 31.10.2022 तक + व्याज एवं अन्य खर्च 16.11.2022 संकेतिक कब्जा 14.03.2023	₹ 10,50,000/- ₹ 105000/- तिथि 02.11.2023 नीलामी से पूर्व	02.11.2023 समय सुबह 11.00 से दोपहर 01.00 बजे तक, शाखा हनुमान मूर्ति, मुरादाबाद

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नीलामी की नियम व शर्तें - 1. नीलामी के समय बोलीदाता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत बचाना राशि के तिले ट्राफ़्ट/पे-आर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी जो प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 2. बोलीदाता को अपना आधार कार्ड/पैन कार्ड साथ लाना होगा। बोलीदाता को बोली स्वीकार होते ही नीलामी बोली का 25 प्रतिशत राशि तुल्य जमा करनी होगी तथा शेष राशि 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी अन्यथा पूर्व में जमा राशि जब्त कर ली जावेगी। 3. उपरोक्त सम्पत्तियों का विक्रय 'जहाँ है जैसा है जो है' के आधार पर किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कारण दर्शाए किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 4. असफल बोलीदाता को धनराशि नीलाम सम्पत्ति के बार उसी दिन बिना व्याज के वापस कर दी जावेगी। 5. इस्तिलाह सम्बंधी खर्च जैसे स्ट्याम व रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि सभी विधि समस्त खर्च सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किये जायेंगे। 6. सम्पत्ति पर समस्त सरकारी कर व देयताओं को जिम्मेदारी बोलीदाता को होगी। 7. अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में शाखा हनुमान मूर्ति, मुरादाबाद, में सम्पर्क करें। 8. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता पांच हजार के गुणोंक में अपने प्रस्ताव में सुधार करेंगे, नीलामी बंद होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जावेगा। 9. यदि ऋणी नीलामी की तारीख से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण बचाना राशि अदा कर देता है तो नीलामी बंद कर दी जावेगी। 10. यह नोटिस ऋणियों/सहअनुबंधियों/बंधककर्ताओं को 30 दिन का नोटिस पदा जाये।

प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

दिनांक: 29.09.2023, स्थान- मुरादाबाद